न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 68/2025 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अमृतलाल पुत्र प्रभूराम जाति मेगवाल, निवासी फतेहपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. करनाराम पुत्र प्रभूराम 2. तेजाराम पुत्र प्रभूराम 3. भूराराम पुत्र प्रभूराम जाति मेगवाल, निवासी फतेहपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादी — श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3 — श्री सुनिल के मेराजा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 09.06.2025

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा फतेहपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 658/168 रकबा 6.4750 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता के फौत होने पर विरासती नामांतरकरण अन्य सहखातेदारों द्वारा भरवाते समय वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम लिखवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम के स्थान पर सही नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता सहमति जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम के स्थान पर सही नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य [illegible] गया। वादी द्वारा अपने वास्तविक नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेज पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त [illegible] राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम के स्थान पर सही नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

...श पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि में वादी का नाम अमृतलाल पुत्र प्रभूराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम के स्थान पर अमृतलाल पुत्र प्रभूराम किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम के स्थान पर अमृतलाल पुत्र प्रभूराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा फतेहपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 658/168 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम उम्मेदाराम पुत्र प्रभूराम के स्थान पर अमृतलाल पुत्र प्रभूराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner